सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

संख्या **432** राँची, शुक्रवार

19 जून, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2015

संख्या-4/न0वि0/गठन/103/2015-2070-- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम-2, 1995 के द्वारा यथा संशोधित), जो उस समय झारखण्ड राज्य में अंगीकृत था, की धारा-6 के साथ पठित धारा-390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-373, दिनांक 06 फरवरी, 2006 के द्वारा मिहिजाम नगर पंचायत का गठन किया गया था।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-8 में ''नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण'' के अन्तर्गत पूर्व गठित नगर निकायों को पूर्ववर्त्ती जनसंख्या के प्रकाशित आँकडों के आधार पर वर्गीकृत करने एंव धारा-13 '' नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का पुर्नगठन'' के अन्तर्गत पूर्व से गठित नगर निकायों को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के रूप में घोषित करने का प्रावधान है।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 8 की उपधारा (2)(ii) के अनुसार यदि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक और एक लाख से कम हो तो उक्त नगर निकाय क्षेत्र को नगर परिषद वर्ग-'ख' के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।

4. झारखण्ड के राज्यपाल, उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-439 गो॰(आ॰), दिनांक 05 अगस्त, 14 से प्राप्त प्रतिवेदन एंव झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-8 एवं धारा-13 के आलोक में मिहिजाम नगर पंचायत की जनसंख्या 40,463 के आधार पर पूर्व से गठित मिहिजाम नगर पंचायत को मिहिजाम नगर परिषद, वर्ग-'ख' के रूप में उत्क्रमित करते हैं।

5. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-3 के तहत् मिहिजाम नगर परिषद्, वर्ग-'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता हैः-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
जामताड़ा	मिहिजाम नगर परिषद, वर्ग-'ख'	**40463**	**40000**	**20**	**463**	**6000**	**0.077**	**0**	**20**

मिहिजाम नगर परिषद वर्ग-'ख' में आम (निकाय) निर्वाचन, 2018 के मद्देनजर झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के अध्याय-2, नियम-3 के तहत् वर्ष 2011 की जनगणना के आँकडों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या-20 एवं पार्षदों की संख्या भी 20 निर्धारित करते हैं।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/संकल्प/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 432—50 +300 ।